

उच्चतम बोली बोलने वाली मत्स्य जातीय सहकारियों समितित से उच्चतम बोली की 25% धनराशि तत्काल जमा कराया जाएगा। अवशेष 75% धनराशि समिति को एक सप्ताह में जमा कराया अनिवार्य होगा।

नीलामी प्राप्तकर्ता को मत्स्य विभाग के अधिकारियों की देख-रेख में भारतीय मेजर कार्य प्रजाति की 2000 मत्स्य अंगुलिका प्रति किमी³ के दर से खर खर रॉयज कराया जाना अनिवार्य होगा।

पट्टे की अवधि नीलामी की तिथि से 30 जून 2027 तक होगी किन्तु 1 जून से 31 अगस्त तक नदियों में मत्स्य आखेट प्रतिबंधित रहेगा।

पट्टा धारक समिति/नीलामी प्राप्तकर्ता के द्वारा बढ़ती हुई नदी/जलधारा को रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा और न ही नदी/जलधारा में बाड़े लगाए जाएंगे।

पट्टा धारक/नीलामी प्राप्तकर्ता नदी में कोई ऐसा विषैला अथवा विस्फोटक पदार्थ उपयोग में नहीं लाएगा जिससे जल प्रदूषण एवं जलीय जीव जनुओं की मृत्यु होने की सम्भावना हो।

पट्टा धारक समिति/नीलामी प्राप्तकर्ता को नदी में कछुआ, घड़ियाल, गंगैटक डोलकिन, मगर एवं अन्य प्रतिबंधित प्रजातियों को पकड़ने का अधिकार नहीं होगा।

11. मत्स्य आखेट हेतु प्रतिबंधित श्रेणी का जाल प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

अन्य विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में मत्स्य विभाग के कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य/मत्स्य प्रवास विकास अभिकरण, प्रथम तल, विकास भवन, वाराणसी में संपर्क किया जा सकता है।

उ.प्र.:- 257264

निर्दिनांक:- 29.09.2026

सहायक निदेशक मत्स्य, वाराणसी

वेबसाइट:- www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।